

25

राजस्थान सरकार
राजस्व गृह-6 विभाग

समस्त जिला कलेक्टर ।

क्रमांक: ग-68438राज-6/2001/19

जयपुर, दिनांक: 21/1/01


विषय:- गाड़िया बुहारों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

गाड़िया बुहारों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में सचिव-प्रथम, मुख्यमंत्री द्वारा शासन सचिव राजस्व को आशुतोष टोम सं० 15691 दिनांक 20.11.2001 भेजी गई है जिसमें यह निर्देश प्राप्त हुए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गाड़िया बुहारों को अभियान के दौरान मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधित त्रुटियों के अधिकारियों द्वारा दे दिए जाएं । जैसा आपकी जानकारी में है, जाति प्रमाण पत्र तहसीलदारों द्वारा दिए जाने के प्रावधान हैं एवं मूल निवास प्रमाण के संबंध में गृह गृह-9 विभाग की आज्ञा सं० ग-1581/32 गृह-5/61 मर्त दि० 6.9.2001 के अन्तर्गत अंकित किया गया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला दण्डनायक, उम जिला दण्डनायक, सहायक निवासी एवं कार्यपालक दण्डनायक ए.पी.एम. उनके कार्य क्षेत्र में अधिकृत है । अभियान अवधि दि० 2.10.01 से 31.12.2001 तक के लिए समस्त तहसीलदारों, अतिरिक्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को भी उनके क्षेत्र में मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु उक्त आज्ञा दि० 6.9.2001 में अधिकृत किया गया है ।

चूंकि गाड़िया बुहारों का कोई स्थाई निवास नहीं है एवं ये अस्थायी तौर पर ही किसी स्थान पर निवास करते हैं । अतः इनके निवास स्थान के जायस व जाति प्रमाण-पत्र जारी करने कायत शंकाएं नहीं रहती हैं । अतः इन शंकाओं के निवारण हेतु सभी गाड़िया बुहार परिवारों का सर्वेक्षण प्राप्तन गांव के संग अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में गटवारों एवं ग्रामसेवक के माध्यम से कराया जाये तथा सर्वे के दौरान जिले में निवास करने वाले परिवारों को मूल निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण-पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दिए जाएं ।

अतः आम अधिनस्थ अधिकारियों को सर्वेक्षण दिए जाने हेतु सशुचित निर्देश जारी करे प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शिफारशी । मूल निवास प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को कृपया से निवेदन किया जा रहा है कि ये इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

शुभकीर्ण,

राजस्व सचिव